To Revise the Norms of BPL

***856**. **SMT. KIRAN CHOUDHARY, M.L.A.:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:

a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to revise the norms of BPL; and

b) if so, the details thereof?

DUSHYANT CHAUTALA, DEPUTY CHIEF MINISTER, HARYANA

Sir,

The annual income limit of any member of Below Poverty Line (BPL) in family was revised from Rs.1.20 lakhs to Rs.1.80 lakhs in December, 2019 and the said limit is applied to all BPL related schemes of the State Government. There is no proposal under consideration of the Government to further revise the norms of BPL in Rural and Urban areas of the State.

बी0पी0एल0 के मानदंडों को संशोधित करने बारे

*856 **श्रीमति किरण चौधरी, विधायकः** क्या मुख्य मन्त्री, हरियाणा बताने का कष्ट करेंगेः

अ) क्या बी0पी0एल0 के मानदंडों को संशोधित करने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है; तथा

ब) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

दुष्यंत चौटाला, उप–मुख्यमंत्री, हरियाणा

श्रीमान जी,

बी0पी0एल0 परिवार के किसी भी सदस्य की वार्षिक आय सीमा दिसम्बर 2019 में रूपये 1.20 लाख से बढ़ा कर रूपये 1.80 लाख संशोधित कर दी गई थी तथा यह सीमा राज्य सरकार की सभी बी0पी0एल0 सम्बन्धी योजनाओं पर लागू है। सरकार का राज्य के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रो के बी0पी0एल0 मानदंडो को और भी संशोधित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।